



बरेली पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 15.09.2022 थाना बहेड़ी जनपद बरेली।

थाना बहेड़ी पुलिस द्वारा चार कुन्टल पैंतीस किलो (435 किलोग्राम) गौवंशीय पशु का मांस बरामद कर तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक इलैक्ट्रॉनिक काँटा, दो लकड़ी के गुटके, 03 अदद छुरी लोहा व एक अदद गडासा लोहा इत्यादि सामान बरामद।

गोवध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बरेली के कुशल पर्यवेक्षण में श्रीमान क्षेत्राधिकारी बहेड़ी जनपद बरेली के निर्देशन में थाना बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास सूचना पर छतरी चौराहे के पास से अभियुक्त 1. मो० सुहेल पुत्र मो० असलम नि० मो० टांडा कस्बा व थाना बहेड़ी जिला बरेली 2. अफजल पुत्र हसमत उल्ला नि० वार्ड न. 07 मो० छोटी मस्जिद किच्छा थाना किच्छा जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड 3. अंसार अहमद पुत्र मुख्तार अहमद नि० मो० नूरी नगर कस्बा व थाना बहेड़ी जिला बरेली को मय एक पिकअप गाड़ी बिना नम्बर जिसमें गौवंशीय का पशु का मांस भरा हुआ के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मांस काटने व बेचने के उपकरण एक इलैक्ट्रॉनिक काँटा, दो लकड़ी के गुटके, 03 अदद छुरी लोहा व एक अदद गडासा लोहा आदि सामान बरामद किया गया। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया गया कि यह मांस गौवंशीय पशु का है तथा यह मांस हम लोगों ने कल रात आवारा गौवंशीय पशुओं को उत्तराखण्ड के जंगल से पकड़कर काटकर लाये है जिस स्थान पर गौवंशीय पशु को काटा उस स्थान के बारे में पूछने पर बताया कि रात का समय था अधैरे में स्थान की जानकारी नहीं हो सकी। आज हम लोग इस गौवंशीय मांस को बेचने के लिए कस्बा बहेड़ी में आये थे। भागे हुए अभियुक्त के बारे में पूछने पर बताया कि उसका नाम नदीम पुत्र वकील अहमद निवासी वार्ड नं० 2 इस्लाम नगर जनता स्कूल के पास किच्छा थाना किच्छा जनपद ऊधम सिंह नगर उत्तराखण्ड है वही इस गाड़ी का मालिक व चालक भी है और वह भी हम तीनों के साथ गौवंशीय पशुओं को काटा था तथा यहां पर हम चारों लोग मांस बेचने आये थे। अभियुक्तों से पिकअप गाड़ी के कागजात तलब किये गये तो नहीं दिखा सके गाड़ी पिकअप को धारा 207 MV ACT में भी सीज किया गया। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मो० सुहेल पुत्र मो० असलम नि० मो० टांडा कस्बा व थाना बहेड़ी जिला बरेली।
2. अफजल पुत्र हसमत उल्ला नि० वार्ड न. 07 मो० छोटी मस्जिद किच्छा थाना किच्छा जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।
3. अंसार अहमद पुत्र मुख्तार अहमद नि० मो० नूरी नगर कस्बा व थाना बहेड़ी जिला बरेली।

फरार अभियुक्त का विवरण:-

1. नदीम पुत्र वकील अहमद निवासी वार्ड नं० 2 इस्लाम नगर जनता स्कूल के पास किच्छा थाना किच्छा जनपद ऊधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

बरामदगी का विवरण:-

1. चार कुन्टल पैंतीस किलो (435 किलोग्राम) गौवंशीय पशु का मांस
2. एक इलैक्ट्रानिक काँटा, दो लकडी के गुटके, 03 अदद छुरी लोहा व एक अदद गडासा लोहा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण:-

अभियुक्त मो0 सुहेल:-

1. मु0अ0सं0 742/2022 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 थाना बहेडी
2. मु0अ0सं0 458/22 धारा 429/420/467/468 भादवि व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता अधि0
3. मु0अ0सं0 459/22 धारा 3/25 A. Act थाना बहेड़ी थाना बरेली ।
4. मु0अ0सं0 415/2019 धारा 429 भादवि थाना बहेड़ी थाना बरेली ।

अभियुक्त अफजल उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 742/2022 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 थाना बहेडी

अभियुक्त अंसार अहमद उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 742/2022 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 थाना बहेडी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार थाना बहेडी जनपद बरेली ।
1. निरीक्षक देवेन्द्र कुमार थाना बहेड़ी जनपद बरेली ।
2. उ0नि0 विपिन तोमर थाना बहेडी जनपद बरेली ।
3. हे0का0 117 महेन्द्र नाथ शुक्ला थाना बहेडी जनपद बरेली ।
4. का0 3061 अंकुर कुमार थाना बहेडी जनपद बरेली ।
5. का0 3060 विपिन कुमार थाना बहेडी जनपद बरेली ।
6. का0 2225 आकाश राणा थाना बहेडी जनपद बरेली ।
7. का0 1348 अमित कुमार थाना बहेडी जनपद बरेली ।